

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

18 दिसंबर 2025

सीएजी का माल एवं सेवा कर पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत!

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए माल एवं सेवा कर (2025 का प्रतिवेदन सं. 25) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर के निर्धारण और संग्रह से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में विभाजित है। अध्याय I में अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के संगठनात्मक ढाँचे, अप्रत्यक्ष कर राजस्व में रूझानों एवं अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अध्याय II में राजस्व प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा प्रतिदर्श एवं लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन दिया गया है। अध्याय III में कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत करदाताओं के संबंध में विभागीय निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय IV में माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी के विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के दौरान देखे गए प्रणालीगत एवं अनुपालन मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नलिखित हैं:

वि.व.22 की तुलना में वि.व.23 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह में ₹ 93,612 करोड़ (सात प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 22 की तुलना में वित्त वर्ष 23 के दौरान केन्द्रीय जीएसटी राजस्व में 22 प्रतिशत (₹ 1,51,796 करोड़) की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 1.3)

वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा ने कंपोजिशन लेवी योजना (सीएलएस) की अनुवर्ती अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। नमूना, पूर्व में किये गये जीएसटीएन द्वारा सितम्बर 2022 में

उपलब्ध कराये गये सीएलएस करदाताओं के ऑकड़ा विश्लेषण, जिसकी लेखापरीक्षा वित्तीय वर्षों 2019-20 से 2021-22 के लिये 2022-23 में की गई थी और सीएजी के लेखापरीक्षा 2024 का प्रतिवेदन संख्या 7 में प्रतिवेदित की गई, से लिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 5 में निर्धारित कंपोजिशन करदाताओं के लिए निर्धारित शर्तों जैसे कि [कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति, आपूर्ति पर कर एकत्र करने के लिए पात्र नहीं है] शब्दों का उल्लेख करना एवं उसके व्यवसाय के मुख्य स्थान पर एवं व्यवसाय के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान पर प्रमुख स्थान के प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइनबोर्ड पर [कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति] शब्दों का उल्लेख करना के अनुपालन की निगरानी करने की व्यवस्था, अपर्याप्त थी। (पैराग्राफ 3.1 एवं पैराग्राफ 3.1.6)

माल एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित एसएससीए की निरंतरता के रूप में की गई थी, सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 7, 2024 में अध्याय IV के रूप में शामिल, जिसमें 2017-18 की अवधि के रिटर्न को शामिल किया गया था, जिसमें कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र एवं नई कर व्यवस्था में विभाग की निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था। डीओआरएफ चरण II की यह प्रतिवेदन 2018-19 से 2020-21 की अवधि के रिटर्न विवरण को शामिल करती है।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि लेखापरीक्षा अवधि 2020-21 के दौरान, कुछ कार्यों को स्वचालित नहीं किया गया था जैसे कि एसएमटी-13 जारी करना एवं जीएसटीआर-3बी के अलावा अन्य रिटर्न के लिए विवरण दाखिल न करने वालों की रिपोर्ट देखना। संबंधित एमआईएस रिपोर्ट या तो उपलब्ध नहीं कराई गई थी या आंशिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी। इनमें जीएसटीआर-3ए, विवाद, निपटान एवं समाधान(डीएसआर) एवं आरईजी-17 से संबंधित एमआईएस रिपोर्ट की अनुपलब्धता शामिल थी, जिन्हें नवंबर 2020 से पहले की अवधि के लिए अभी तक स्वचालित नहीं किया गया है (अप्रैल 2023)। ।

(पैराग्राफ 4.8.1)

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 10,124 विचलनों का एक नमूना लिया गया एवं 8,106 विचलनों में विभाग की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा 2,519 मामलों में वैधानिक प्रावधानों से अनुपालन विचलन देखा गया, जिसमें ₹ 21,695.11 करोड़ की राशि शामिल थी, जोकि 31 प्रतिशत विसंगतियां/बेमेल आंकड़ें दर्शाती हैं, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान कीं। जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई जैसे ब्याज का कम भुगतान, जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं करना लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल

करना, निश्चित समय-सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर आईटीसी का लाभ उठाना, आईटीसी बेमेल होना, अनुत्तरित देयता, आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किए बिना आईटीसी पारित करना, आरसीएम के तहत कर का कम भुगतान एवं अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट।
(पैराग्राफ 4.8.4)

पूरी तरह या आंशिक रूप से लेखापरीक्षित (विस्तृत लेखापरीक्षा के अधीन) 1,086 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 2,349.62 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभाव के 741 अनुपालन विचलन पाए। इन विचलनों के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षण किए गए 1,086 करदाताओं में से 438 ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। इसके मुख्य कारणों में अयोग्य एवं अनियमित आईटीसी का लाभ उठाना, आपूर्ति का गलत वर्गीकरण, कराधान के लिए आपूर्ति का बहिष्करण, आपूर्ति का कम मूल्यांकन एवं आरसीएम के तहत कर का गलत निस्तारण शामिल था।

कुछ महत्वपूर्ण ऑडिट अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं।

विभाग

- बैक-एंड प्रणाली में बिजनेस इंटेलेजेंस (बीआई) एवं एमआईएस रिपोर्टों को शामिल करने में तेजी ला सकता है एवं जब तक स्वचालन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक विभाग मैनुअल रिकॉर्ड/रजिस्ट्रों का उचित रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है।
- बैक-एंड पोर्टल में 'नॉन-फाइलर देखें' सुविधा का विस्तार कर सकता है ताकि रैंज अधिकारी सभी श्रेणियों के पंजीयकों के रिटर्न न भरने वालों की पहचान कर सकें एवं उन्हें नोटिस जारी कर सकें। वर्तमान में, यह सुविधा केवल जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-10 एवं सीएमपी-08 के लिए उपलब्ध है।
- डीजीएआरएम जोखिमों के अनुपालन की निगरानी में सुधार करना चाहिए, ताकि आंकड़ों के संदर्भ में राजस्व की प्राप्ति न होने या उसका अनुसरण न किए जाने की संभावना को समाप्त किया जा सके तथा साथ ही, जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूना जांच मामलों की समीक्षा की जा सके।
- रैंजों में निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण को रद्द करने, निलंबित करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा वसूली की प्रक्रियाओं में समुचित सावधानी बरती जाए। (पैराग्राफ 4.10)

BSC/SS/IK/96-25